**अपील सूचना अधिकार संख्या 37/2019 (RCMS 2019/00115) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर**

**19.06.2019**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**पत्रावली** पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**अपीलार्थी ने प्रार्थना की** है कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2018 को प्रस्तुत करके सात बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित की जाकर हर्जाना प्रार्थी को दिलवाया जावे एवं उसे वांछित सूचनाएं भी उपलब्ध करवाई जावे।

**मैनें उक्त तर्को** पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.10.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> आपका पत्र 6797 दिनांक 13.09.2018 के साथ संलग्न पत्रांक 4005 दिनांक 16.07.2018 निर्वाचक रजिस्ट्रकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सम्बन्ध सूचनाएं पत्र के पैरा संख्या 2 में यह तथ्य अंकित है कि :
>
> 1. बैंक प्रशासन द्वारा दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.14 तक बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी गई थी एवं इसी पैरा में यह तथ्य अंकित है कि तत्कालीन ई.आर.ओ. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1638 दिनांक 26.03.2015 से यह तथ्य अंकित किया हे कि सुभाष गोयल की लोक सभा चुनाव में ड्यूटी निरन्तर थी। उस समय ई.आर.ओ. श्री कैलाशजी शर्मा, श्रीगंगानगर में पदासीन थे एवं पत्र श्री यशपाल आहुजा द्वारा

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

क्रमांक 4005 दिनोंक 16.07.2018 लिखा हुआ है। अतः दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक ड्यूटी पर ही नही थ तो ड्यूटी चुनाव में किस आधार पर लिखी गई है।

2. एक तथ्य बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल अपने आपको दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोडने के कथन कर रहे है तो यह पत्र किस तारीख को निर्वाचन विभाग के जिस अधिकारी को उस तारीख व क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. बी.एल.ओ. के स्वयं के बयान व कार्य निष्पादन लोकसभा चुनाव 2014 में किये गये की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. जिस सेक्टर मजिस्ट्रेट के अधीन बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल द्वारा जिस अवधि से जिस अवधि तक लोकसभा चुनाव में कार्य किया, उस अवधि की सूचना व कार्य की प्रमाणित प्रति।
5. जिस सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के अधीन कार्य किया, लोकसभा चुनाव में, उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना व कार्य किये गये की अवधि की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. पत्रांक 4005 दिनांक 16.07.2018, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा लिखा गया है, इस पत्रावली पर कार्य करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
7. बी.एल.ओ. सुभाष गोयल दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय पर न होने पर दिनांक 06.04.2017 तक ड्यूटी निरन्तर होने के कथन मिथ्या करने के अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की सूचना।

**उक्त अपील पत्र** के संदर्भ में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिल निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(RTI)निर्वा/2019/12038 दिनांक 18.06.2019 से अवगत करवाया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 4166 दिनांक 18.12.2018 से श्री राधेश्याम गोयल को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

| बिन्दु सं. | वांछित सूचना | प्रतिउत्तर |
|---|---|---|
| आपका पत्र 6797 दिनांक 13.09.2018 के साथ संलग्न पत्रांक 4005 दिनांक 16.07.2018 निर्वाचक रजिस्ट्रकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सम्बन्ध सूचनाएं पत्र के पैरा संख्या 2 में यह तथ्य अंकित है कि : | | |
| 1 | बैंक प्रशासन द्वारा दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी गई थी एवं इसी पैरा में यह तथ्य अंकित है कि तत्कालीन ई.आर.ओ. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1638 दिनांक 26.03.2015 से यह तथ्य अंकित किया हे कि सुभाष गोयल की लोक सभा चुनाव में ड्यूटी निरन्तर थी। उस समय ई.आर.ओ. श्री कैलाशजी शर्मा, श्रीगंगानगर में पदासीन थे एवं पत्र श्री यशपालजी आहुजा द्वारा क्रमांक 4005 दिनांक 16.07.2018 लिखा हुआ है। अतः दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक ड्यूटी पर ही नही था तो ड्यूटी चुनाव में किस आधार पर लिखी गई है। इस बात की जांच करवाकर दोनों अधिकारियों के हस्तलिखित पत्र की सूचना व प्रमाणित प्रति। | लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदन द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है। |
| 2 | एक तथ्य बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल अपने आपको दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोडने के कथन कर रहे है तो यह पत्र किस तारीख को निर्वाचन विभाग के जिस अधिकारी को उस तारीख व क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति। | |

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

| | | |
|---|---|---|
| 3 | बी.एल.ओ. के स्वयं के बयान व कार्य निष्पादन लोकसभा चुनाव 2014 में किये गये की सूचना व प्रमाणित प्रति। | लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदन द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है। |
| 4 | जिस सेक्टर मजिस्ट्रेट के अधीन बी. एल.ओ. श्री सुभाष गोयल द्वारा जिस अवधि से जिस अवधि तक लोकसभा चुनाव में कार्य किया, उस अवधि की सूचना व कार्य की प्रमाणित प्रति। | |
| 5 | जिस सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के अधीन कार्य किया, लोकसभा चुनाव में, उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना व कार्य किये गये की अवधि की सूचना व प्रमाणित प्रति। | |
| 6 | पत्रांक 4005 दिनांक 16.07.2018, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा लिखा गया है, इस पत्रावली पर कार्य करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना। | |
| 7 | बी.एल.ओ. सुभाष गोयल दिनांक 05. 04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय पर न होने पर दिनांक 06. 04.2017 तक ड्यूटी निरन्तर होने के कथन मिथ्या करने के अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की सूचना। | |

-sd-

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

ला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में प्रतीत होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना** अधिकारी **को निर्देशित किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उसे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार निरीक्षण करवा दिया जावे और यदि वह उपलब्ध अभिलेख में से किसी भी निश्चित

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में उपलब्ध करवा दी जावे।

**अतः अपीलार्थी** की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर